

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न कार्य हेतु इस प्रकार के कार्य करने वाली दक्ष एवं अनुभवी फर्मों/ठेकेदारों से टू-बिड (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) के आधार पर दि० 30.10.25 को अपरान्ह 2.00 बजे तक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक ठेकेदार/फर्म उक्त कार्य हेतु नियत तिथि व समय तक uktenders.gov.in की बैबसाईट में प्रतिभाग/अपलोड कर सकते हैं। प्राप्त तकनीकी बिड को निविदा समिति /अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31.10.25 को सांय 3.00 बजे उपरान्त उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। सफल निविदादाताओं को वित्तीय बिड खोलने हेतु अलग से सूचित किया जायेगा। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आगणन में अंकित मदों एवं सामग्री की मात्रा पूर्णतः अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप/आंकलन के आधार पर किया जायेगा।

इच्छुक प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु तालिका में अंकित निविदा मूल्य की धनराशि का पे-आर्डर जो सचिव, एम०डी०डी०ए० के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ०डी०आर०/सी०डी०आर०/एन०एस०सी० के रूप में होगी, तथा अधिशासी अभियन्ता, म०दे०वि०प्रा० के नाम बन्धक होगी, एवं शर्तों के अनुसार अन्य अभिलेखों को उक्त बैबसाईट में उक्त तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन करना होगा तथा इन सभी की मूल प्रति एक सील बन्द लिफाफे में तकनीकी बिड के साथ दिनांक 31.10.25 को अपरान्ह 2.00 बजे तक प्रत्येक दशा में प्राधिकरण के सम्बन्धित अनुभाग (अभियन्त्रण अनुभाग, चतुर्थ तल) में जमा करनी होगी। निर्धारित समय तक धरोहर राशि की एफ०डी०आर० व निविदा मूल्य का ड्राफ्ट व अन्य अभिलेख इत्यादि (तकनीकी बिड की स्कैन प्रति) जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र, जी० पी० डब्लू०-9 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेन्स सिक्क्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या 1197/II (2)/07-75(सामान्य)/II दिनांक 24-2-2014 एवं अन्य के अनुसार होगी। जी०एस०टी० नियमानुसार देय होगी। समस्त निविदाओं की वैधता 60 दिन मान्य रहेगी।

क्र०	कार्य का नाम	अनु० लागात (लाख)	धरोहर राशि (लाख रू०)	टेन्डर शुल्क	समय (माहों में)
1	आई०एस०बी०टी० के समीप सहारनपुर रोड में स्थित प्लाई ओवर में फसाड लाईटिंग के कार्य	337.94	6.76	5900-00	04

निविदा के साथ मूल रूप में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य हैं :-

- निविदा वैधता के सम्बन्ध में, सत्यता और शुद्धता के सम्बन्ध में, लिटिगेशन की सूचना के सम्बन्ध में, निविदा समिति के निर्णय/नो क्लेम के सम्बन्ध में, No Dues के सम्बन्ध में, एवं जी०एस०टी०, आई०टी० व अन्य विभागों के सम्बन्ध में रू० 100.00 के स्टाम्प पेपर, एवं रू० 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटराइज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र।
- उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 770/iii(2) 17-20(सामान्य) 2011 टी०सी० दिनांक 12.06.2017 के अनुसार विभागीय दरों से 5 प्रतिशत से कम दरों पर निविदा देने पर अतिरिक्त परफोरमेन्स सिक्क्योरिटी नियमानुसार जमा करनी होगी।
- प्राधिकरण को बिना कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा।
- निविदा में प्रतिभाग करने में दूरसंचार एवं निविदा को बैबसाईट पर तकनीकी खराबी आदि से निविदादाता को होने वाली कठिनाइयों हेतु प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।

अधिशासी अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।